महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

कादर नवाज खान
Kadar Nawaz Khan
कार्यकारी कुलसचिव

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
फैक्स / Fax : +91-7152-230903

पत्रांक : 008/2012-13/NSR-110/ 396
दिनांक : 02.02.2015

परिपत्र

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में बाहर से आने वाले अतिथियों के संबंध में निम्नानुसार बिन्दूओं का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:

1. विश्वविद्यालय का अतिथि गृह विश्वविद्यालय की सम्पत्ति है जिसका उपयोग केवल विश्वविद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थियों के हित के लिए किया जाता है तथा साधारणतः इसे बाहर के व्यक्तियों को नही दिया जाएगा।
2. यदि कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में इसे उपलब्ध कराने का निवेदन सक्षम स्तर से स्वीकृत किया जाता है तो उसके लिए निम्न शर्ते लागू होगी:
   - (i) विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में आवास हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में माँग करनी होगी। जो अतिथि रहने के इच्छुक है उसका पूर्ण नाम, आयु, पता, मोबाईल नंबर, पदनाम तथा पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ देनी होगी। अतिथि के साथ अन्य कोई है तो उनकी भी पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
   - (ii) आवेदन के साथ ही कमरे के किराए की राशि तथा राशि ₹ 500/- डिपाज़िट वित्त विभाग में अग्रिम के रूप में जमा करना होगा।
   - (iii) अतिथि गृह के भोजन कक्ष में खान-पान हेतु राशि ₹ 300/- प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के दर से जमा करना होगा। शेष राशि अतिथि गृह छोड़ने के समय लौटाई जाएगी।
   - (iv) अतिथि के साथ कार्यालय के अन्य कर्मी या स्टाफ आते है तो उनके रहने तथा खान-पान की व्यवस्था नही की जाएगी।
   - (v) अतिथि गृह के कक्ष आवंटन का अधिकार केवल कुलसचिव को होगा तथा कुलसचिव के लिखित आदेश के बगैर किसी भी प्रकार का आवंटन अवैध माना जाएगा। लिखित आदेश के बगैर अगर कोई कर्मी आवंटन करता है तो उस कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
   - (vi) अगर किसी कारण से अतिथि किराए/खान-पान की निर्धारित राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अदा नही कर पाता तो इसे उनके विभाग/कार्यालय से माँगा जाएगा या आवेदन पर जिस अधिकारी के हस्ताक्षर है उनसे वसूल किया जाएगा। माँगी गई राशि एक सप्ताह में प्राप्त न होने की स्थिति में उस विभाग के किसी भी अधिकारी को या उसके सिफारिश पर किसी अन्य व्यक्तियों को अतिथि गृह आवंटित नही किया जाएगा।
3. किसी भी कक्ष को आवंटित करने व रद्द करने तथा अतिथि गृह के नियमों के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार माननीय कुलपति महोदय को होगा।

विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर इन नियमों का हर स्तर पर कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा। अतः विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मियों का सहयोग अपेक्षित है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

कादर नवाज़ 05/02/15
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि :-

01 कुलपति महोदय
02 प्रतिकुलपति महोदय
03 समस्त विभाग
05 लीला विभाग को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोडक करने हेतु।
06 समस्त सूचना पट्ट

पोस्ट मानस मंदिर, गांधी हिल्स, वर्धा - 442005 (महाराष्ट्र), भारत
Post Manas Mandir, Gandhi Hills, Wardha-442 005 (Maharashtra), INDIA
वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org, **ई-मेल/E-mail :** registrar@hindivishwa.org & campusdevelopment@hindivishwa.org